

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की
विधिमान्यता) अधिनियम, 1984**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1984)

**THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES
(VALICATION OF APPOINTMETS) ACT, 1984**

(U.P. Act No. 18 of 1984)

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता)
अधिनियम, 1984¹**

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1984]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 29 सितम्बर, 1984 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 01 अक्टूबर, 1984 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य विश्वविद्यालयों में की गयी कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिये—

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 16 अगस्त, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विश्वविद्यालय में या उसके किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में 1 जुलाई, 1978 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के बीच की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक पदों पर की गयी हो, विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी और ऐसी नियुक्तियों की विधिमान्यता पर किसी न्यायालय, अधिकरण अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि पद अलग से विज्ञापित नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था।

नियुक्तियों की विधिमान्यता

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अध्यादेश, 1984 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कतिपय उपबन्धों के निर्वचनानुसार अध्यापक की प्रत्येक रिक्ति विज्ञापित की जानी चाहिये और विज्ञापित न की गयी किसी रिक्ति के प्रति चयन अवैध है। तथापि कुछ मामलों में प्रध्यापकों के पदों के लिए चयन विज्ञापित संख्या से अधिक किया गया है और ऐसे प्रध्यापक अनेक वर्षों में कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त निर्वाचन के परिणामस्वरूप ऐसे प्रध्यापकों के पूर्णतया होते हुए भी उनकी ओर से कोई त्रुटि के बिना उन्हें सेवायोजन से हटा दिये जाने की सम्भावना है और इससे उन्हें और अधिक कठिनाई तथा अपूरणीय क्षति हो सकता है। तदनुसार यह उचित समझा गया कि राज्य विश्वविद्यालयों या उनके सम्बद्ध या सहबद्ध महाविद्यालयों 1 जुलाई, 1978 और इन अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के बीच विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नियुक्त अध्यापक विधिमान्यतः नियुक्त समझे जायेंगे।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984 पुरःस्थापित किया जाता है।